



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

कार्तिक 10, मंगलवार, शाके 1933-नवम्बर 1, 2011  
Kartika 10, Tuesday, Saka 1933-November 1, 2011

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

शुद्धि-पत्र

जयपुर, अक्टूबर 31, 2011

संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008:- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 की शक्तियों के तहत अधिसूचित की गई सेवाएं, सेवा की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी/सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी सूची (सारणी) की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1(ख) की क्रम संख्या 7 “ऊर्जा विभाग” की सेवाओं में एतद्वारा निम्नानुसार शुद्धियों की जाती है, अर्थात् :-

क्र.सं.	विभाग	सेवा क्रमांक	की गई शुद्धि		नोटिफिकेशन दिनांक 5-10-2011 का पृष्ठांक
7.	ऊर्जा विभाग	44	कॉलम संख्या 4 (I)	अव्यवासायिक के स्थान पर व्यवसायिक पढ़ा जाये	365 (12)
			कॉलम संख्या 4 (II) 1 (स)	132 के.वी. से अधिक के स्थान पर 132 के.वी. व उससे अधिक पढ़ा जाये	365 (13)
			कॉलम संख्या 4 (II) 2 (घ)	132 के.वी. से अधिक के स्थान पर 132 के.वी. व उससे अधिक पढ़ा जाये	365 (13)
			कॉलम संख्या 4 (II) 3 (घ)	132 के.वी. से अधिक के स्थान पर 132 के.वी. व उससे अधिक पढ़ा जाये	365 (14)
		48	कॉलम संख्या 4 (I) (i) (अ)	कॉलम 7 में अधिशाषी के स्थान पर कनिष्ठ पढ़ा जाये	365 (16)
			कॉलम संख्या 4 (I) (ii) (अ)	कॉलम 8 में अधीक्षण के स्थान पर अधिशाषी पढ़ा जाये	365 (17)
			कॉलम संख्या 4 (I) (iii) (अ)	कॉलम 9 में मुख्य के स्थान पर अधीक्षण पढ़ा जाये	365 (17)

राज्यपाल के आदेश से,

आर.पी.जैन

प्रमुख शासन सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

नोट:- अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 05.10.2011 क्रम संख्या 7 “ऊर्जा विभाग” की सेवाओं में एतद्वारा निम्नानुसार शुद्धियों की गई।